भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 2540

(जिसका उत्तर मंगलवार, 16 दिसम्बर, 2014 को दिया गया)

<u>कारपोरेट सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर.) निधि से स्वच्छ भारत अभियान और निर्मल गंगा मिशन हेतु अंशदान</u>

2540. श्रीमती मोहसिना किदवई :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कंपनियों ने विभिन्न सामाजिक गतिविधियों पर अपनी आय का कम से कम 2 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों पर खर्च किया है/कर रही हैं जैसा कि कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति (सी.एस.आर.) नियम, 2014 के द्वारा ऐसा किया जाना अनिवार्य किया गया है;

(ख) यदि हां, तो सी.एस.आर. के अधीन राज्य-वार शामिल की गयी/की गयी गतिविधियों की प्रकृति के साथ-साथ सी.एस.आर. के अधीन प्राप्त की गयी और उपयोग की गयी कुल निधियों का कंपनी-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार सी.एस.आर. गतिविधियों में स्वच्छ भारत अभियान और निर्मल गंगा मिशन हेतु अंशदान/अभिदान देने वाली कंपनियों की अनुमति देने का विचार रखती है और यदि हां, तो इस संबंध में कंपनियों द्वारा किए गए अंशदान/अभिदान का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरुण जेटली)**

(क) से (ग) : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधान, उक्त अधिनियम की अनुसूची-VII और कंपनी (कारपोरेट सामाजिक दायित्व नीति) नियम, 2014 01.04.2014 से प्रवृत्त हुए हैं। अधिनियम के अधीन कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व के कार्यान्वयन का यह प्रथम वर्ष है। कंपनियों द्वारा खर्च की गई राशि और चलाए जाने वाले कार्यकलापों की प्रकृति जैसे विवरण कंपनियों द्वारा सीएसआर व्यय का अनिवार्य प्रकटन करने के बाद ही उपलब्ध होंगे जो सितंबर, 2015 के बाद देय होगा। "स्वच्छ भारत अभियान" और "निर्मल गंगा मिशन" को कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-VII के अधीन सीएसआर कार्यकलापों के रूप में 24 अक्तूबर, 2014 से शामिल किया गया है। कंपनियों द्वारा इस संबंध में किए गए अंशदान का विवरण भी ऊपर बनाए गए समय तक उपलब्ध होगा।

*****